

प्रशासन गावों के संग अभियान 2021

356
2021

रिपोर्ट पर्यटनी हत्या/आईओएलओआर
आवेदन पत्र को सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार

श्रीमानजी, सहायक क्राइम डीप्टी के खाता संख्या 1119 में बुनी पुनी गोल्ला दर्ज है
जबकि संलग्न दस्तावेज आधीगा कार्ड, साक्ष्यपत्र (ग्राहक पंचायत) में प्रार्थी
का नाम विमला पुनी गोल्ला दर्ज है जो नाम पुरस्त किमा लोना प्रस्तावित है

दिनांक: पंचायती अनुस्ता
उद्दिष्ट किया जाका रजिस्ट्रार है।

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुदागौड़जी

क्रमांक: राजस्व/2020/

दिनांक: 21/10/21

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निर्देश है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक
का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम पुरस्त किये जाने की अधिसंघा की जाती है /
की जाती है।

श्रीमानजी

ग्राम पंचायत टोडा

पं.स. उदयपुरवाटी (सुन्दर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला सुंसुर (राज.)

आदेश :-

श्रीमानजी

तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुदागौड़जी

दिनांक :- 21/10/2021

प्रार्थी के 'खाता दुरुस्ती' प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं तहसीलदार (भू0अ0)
उदयपुरवाटी/गुदागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में
निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुदागौड़जी को राजस्व
रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी संभवत	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध-प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
4	टोडा	2075- 2078	1119	बुनी पुनी गोल्ला	विमला पुनी गोल्ला

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की
पालना की जावे।

श्रीमानजी
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 21/10/2021

क्रमांक :- राजस्व/2020/237-238
तिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुदागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया

को सूचनार्थ।

श्रीमानजी
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

